

FORM NO. 2

REIMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

(Ref : OM No. 12011/03/2008 (Allowance) Dated 02/09/2009)

Academic Year _____

1. Certified that the children/child mentioned below in respect of whom reimbursement of Children Education Allowance claimed is wholly dependent upon me :

Name of the Child & Date of Birth	School in which studying	Class in which studying	Total Education Allowance Paid	Total Amount Reimbursed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)				
2)				
			Child No. 1 (A)	Child No. 2 (B)
# Tuition fees			Rs.	Rs.
Admission fee			Rs.	Rs.
Laboratory fee			Rs.	Rs.
Special fee charged for agriculture, electronics, music or any other subject			Rs.	Rs.
Fee charged for practical work under the programme or work experience			Rs.	Rs.
Fee paid for the use of any aid or appliance by the child			Rs.	Rs.
Library fee				
Vidyalaya Vikas Nidhi charged by Kendriya Vidyalayas			Rs.	Rs.
Games/Sports fee			Rs.	Rs.
Fee for extracurricular activities & any other fee charged by the School directly from the student.			Rs.	Rs.
One set of textbooks & notebooks			Rs.	Rs.
Two sets of uniforms (irrespective of colours/winter/summer/PT uniforms)			Rs.	Rs.
One set of school shoes			Rs.	Rs.
Total Amount :			Rs.	Rs.
Grand Total (A + B) :			Rs.	Rs.

2. Certified that the Education Allowance indicated against the Child/Children has actually been paid by me (Receipts enclosed).

(Note : Copy of School fee card & Bank challans/Paid up Receipts/Purchase receipts in original are to be enclosed)

3. Certified that :

i) my spouse is not a Central Government servant

ii) my spouse is a Central Govt. servant and that she/he has not claimed/will not claim children's educational allowance in respect of our child/children.

4. Certified that during the period covered by the claim the child attended the school regularly and did not absent himself/herself from the school without proper leave for a period of exceeding one month.

5. In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for children's educational allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments, if any made.

Note : # It is clarified that the amount allowable as tuition fees shall include any payment of fee to any university, college, school or other educational institution in India except the amount representing payment in the nature of development fees or donation or capitation fees or payment of similar nature.

Encl :

(Signature of the Govt. servant)

Place :

Date :

Name of Govt. Servant : _____

(फॉर्म प्रपत्र) - २
शिशु शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति

(संदर्भ : काज़ा सं. १२०११/०३/२००८ (भत्ता) दि. ०२/०९/२००९)

अकादमिक वर्ष _____

१. प्रमाणित किया जाता है कि अधोलिखित बच्चा/बच्चे जिनके संबंध में दावित शिशु शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति है पूरी तरह से मुझ पर निर्भर (आश्रित) है :

बच्चे का नाम एवं जन्मतिथि	विद्यालय जिसमें पढ़ रहा है	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	कुल दिया गया शिक्षा भत्ता	प्रतिपूर्ति की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)				
2)				
			शिशु सं. १ (ए)	शिशु सं. २ (बी)
शिक्षण शुल्क			रु.	रु.
प्रवेश शुल्क			रु.	रु.
प्रयोगशाला शुल्क			रु.	रु.
कृषि, इलैक्ट्रॉनिक्स, संगीत या किसी विषय हेतु प्रभारित विशेष शुल्क			रु.	रु.
कार्यक्रम या कार्यानुभव के अन्तर्गत व्यवहारिक कार्य हेतु शुल्क			रु.	रु.
शिशु द्वारा किसी उपकरण या सहायक के प्रयोग हेतु दिया गया शुल्क			रु.	रु.
पुस्तकालय शुल्क			रु.	रु.
केन्द्रीय विद्यालय द्वारा प्रभारित विद्यालय विकास निधि			रु.	रु.
गेम/खेल शुल्क			रु.	रु.
विद्यालय द्वारा सीधे छात्र से प्रभारित कोई अन्य शुल्क एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए शुल्क			रु.	
पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिकाओं का एक सैट			रु.	रु.
वर्दियों को दो सैट (रंग/सर्दी/गर्मी/पीटीवर्दी के अलावा)			रु.	रु.
विद्यालयी जूतों का एक जोड़ा (सैट)			रु.	रु.
कुल राशि			रु.	रु.
कुल योग (ए + बी)			रु.	रु.

२. प्रमाणित किया जाता है कि बच्चा/बच्चे के विरुद्ध सूचित शिक्षा भत्ता वास्तव में मेरे द्वारा दिया गया है (रसीद संलग्न है)

(टिप्पणी : विद्यालय शुल्क कार्ड एवं बैंक चालान/भुगतान की रशीदों की प्रतिलिपि मलरूप में संलग्न की जानी है)

३. प्रमाणित किया जाता है कि :

i) मेरी पत्नी/मेरा पति केन्द्र सरकार सेवक/सेविका नहीं है

ii) मेरी पत्नी/मेरा पति केन्द्र सरकार सेवक/सेविका है और वह/उसने हमारे बच्चा/बच्चे के संबंध में शिशु शिक्षा भत्ते का दावा नहीं किया है / नहीं करेगा ।

४. प्रमाणित किया जाता है कि दावे से आड़ित अवधि क दौरान बच्चा नियमित रूप से विद्यालय गया और उसने विद्यालय से एक महीने से अधिक अवधि के लिए उचित प्रकार के अवकाश बिना अनुपस्थित नहीं रहा ।

५. ऊपर दिए गए विवरणों में जो शिशु शिक्षा भत्ते हेतु मेरी पात्रता प्रभावित करेगी में किसी परिवर्तन की घटना में, मैं उसे तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ और कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया हो तो उसे लौटाने का वचन देता हूँ ।

टिप्पणी : प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण शुल्क के रूप में देय राशि में किसी विश्व विद्यालय, महा विद्यालय, विद्यालय के शुल्क का भुगतान अथवा विकास शुल्क या दान या पूँजीगत शुल्क या इसी प्रकृति के भुगतान को छोड़कर भारत में अन्य शैक्षणिक संस्था को दिए गए शुल्क को सम्मिलित करेगा ।

संलग्न :

स्थान :

(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

दिनांक

सरकारी सेवक का नाम